

शासनादेश संख्या-3016/XX-2/17/02(23)/2017, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

निजी सुरक्षा एजेन्सी के कारोबार में नियोजन हेतु लाइसेंस

('निजी सुरक्षा एजेन्सी(विनियमन) अधिनियम, 2005' एवं प्रदेश शासन की 'निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लिए राज्य की आदर्श नियमावली, 2009' के अधीन)

क्रम संख्या 132 (प.सं-02(13)/2017)


दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

मैसर्स शार्क सिक्यूरिटी सर्विसेस को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जिला देहरादून में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसका कार्यालय देहरादून में है।

कार्यालय पता मैसर्स शार्क सिक्यूरिटी सर्विसेस, कार्यालय पता-एम०आई० जी-137, एम०डी०डी०ए० कॉलोनी, केदारपुरम, देहरादून।

जारी करने का स्थान देहरादून
जारी करने की तिथि 31 अक्टूबर, 2017
लाइसेंस वैधता की तिथि 30 अक्टूबर, 2022 तक




(अजय रौतेला)

अपर सचिव/नियंत्रक प्राधिकारी,
गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
4, सुभाष रोड, देहरादून।